न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 10280 दिनांक 31/12/2025

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शांति देवी पत्नि थानाराम जाति कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 पदमाराम पुत्र प्रहलादराम 2 रावताराम 3 लच्छुराम पिसरान देराजराम 4 गुलाराम 5 चुनाराम 6 जेठाराम पिसरान पेमाराम 7 मांगाराम 8 उदाराम पिसरान टिलाराम 9 खेतु पत्नि अचलाराम जाति प्रजापत 10 रेवन्ताराम 11 चम्पा 12 उमेदाराम 13 प्रकाश पिसरान लुणाराम 14 गंगाराम 15 मोहनराम पिसरान चताराराम जातियान कुम्हार 16 भूराराम पुत्र दलराम जाति जाट निवासी काउ का खेडा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–596/2025 दिनांक– 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काउ का खेडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 904/111 रकबा 1.8453 हैक्टेयर व खसरा संख्या 913/448 रकबा 0.0913 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 10281-10284 दिनांक– 31/12/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी शांति देवी पत्नि थानाराम जाति कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण पदमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति प्रजापत वगैरा निवासी काउ का खेडा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.02.03 13:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर